बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश
शुद्धि–पत्र

सं० सं०–17/ए 1–41/2019 **पटना, दिनांक –**

स्वास्थ्य विभागीय आदेश सं०–379(17) दिनांक–04.06.2019 द्वारा राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के विभिन्न विभागों में विभागीय अधिसूचना संख्या–311(17) दिनांक–10.05.2019 एवं 323(17) दिनांक–17.05.2019 द्वारा क्रमशः प्राध्यापक/सह–प्राध्यापक तथा सहायक प्राध्यापक के पद पर नवनियुक्त कुल 17 (सत्रह) चिकित्सकों के योगदान की तिथि को उनसे प्राप्त अभ्यावेदन के आलोक में विस्तारित की गई थी।

2. उक्त आदेश की कंडिका–2 में अंकित डा0 शम्भु शरण से संबंधित आदेश के कॉलम–3 में अंकित पदनाम/विभाग/पदस्थापन स्थान को **"सह–प्राध्यापक, ई0एन0टी0 विभाग, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय"** के स्थान पर **"सह–प्राध्यापक, ई0एन0टी0 विभाग, जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय, मधेपुरा" तथा** कंडिका–8 में अंकित डा० गोपाल पासवान से संबंधित आदेश के कॉलम–3 में अंकित पदनाम/विभाग/पदस्थापन स्थान को **"सहायक प्राध्यापक, सर्जरी विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना"** के स्थान पर **"सहायक प्राध्यापक, सर्जरी विभाग, अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय, गया"** पढ़ा जाए।

3. उक्त आदेश के शेष अंश यथावत् रहेंगे।

ह०/–
(विवेकानन्द ठाकुर)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–17/ए 1–41/2019 - 461 (17) **पटना, दिनांक :–** 26/6/19
प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ संबंधित चिकित्सा महाविद्यालयों के प्राचार्य एवं अधीक्षक/ संबंधित नवनियोजित सह–प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

13/06/19.
सरकार के अवर सचिव।